



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 23.09.2023

थाना चांदपुर पुलिस ने तीन वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस ने तीन वारंटी अभियुक्तगण 1.नईम उर्फ इदवा पुत्र अलीशेर नि0 ग्राम खाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 2.दलबिन्दर पुत्र धर्मसिंह व 3.वीरभान सिंह पुत्र धर्मसिंह नि0गण ग्राम सुजात खादर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.नईम उर्फ इदवा पुत्र अलीशेर नि0 ग्राम खाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.दलबिन्दर पुत्र धर्मसिंह ग्राम सुजात खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.वीरभान सिंह पुत्र धर्मसिंह नि0गण ग्राम सुजात खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.हे0का0 705 सुरेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 2434 लोकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 1877 अंकित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ बिटटू की ₹ 30,81,216/- की अचल सम्पत्ति (मकान) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 22.09.2023 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित



अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ बिटटू पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का पक्का मकान खसरा नं0 250 क्षेत्रफल 161.68 के नवीन परती जिसकी अनुमानित कीमत 30,81,216/- (तीस लाख इक्यासी हजार दौ सौ सौलह रुपये) को जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.09.2023 के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ बिटटू उपरोक्त शराब माफिया है । अभियुक्त के विरुद्ध थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर पर एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ बिटटू द्वारा अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध रूप से शराब का निष्कर्षण कर धन अर्जित किया गया तथा सम्पत्ति खरीदी गयी । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार नगीना व स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद रहे ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

बलविन्द्र उर्फ बिटटू पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर (एचएस-12(ए), शराब माफिया डी0- 59/20)

अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ बिटटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0-	धारा	थाना
---------	-----------	------	------

1	2	3	4
1	मु0अ0सं0 72/08	धारा 60 EX ACT	नगीना देहात
2	मु0अ0सं0 46/13	धारा 60 EX ACT	नगीना देहात
3	मु0अ0सं0 148/16	धारा 323/504/506/325/308 भादवि	नगीना देहात
4	मु0अ0सं0 61/17	धारा 60/62 EX ACT	नगीना देहात
5	मु0अ0सं0 274/18	धारा 60 (1)/72 EX ACT	बढापूर
6	मु0अ0सं0 108/18	धारा 110 G CRPC	नगीना देहात
7	मु0अ0सं0 56/19	धारा 60(2) EX ACT	नगीना देहात
8	मु0अ0सं0 116/20	धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	नगीना देहात
9	मु0अ0सं0 130/19	धारा 60(2)/72 EX ACT	नगीना देहात
10	मु0अ0सं0 108/22	3/25 शस्त्र अधि0	नगीना देहात
11	मु0अ0सं0 109/22	10 उ0प्र0गुन्डा0अधि0	नगीना देहात
12	मु0अ0सं0 04/23	60(2) आबकारी अधि0	नगीना देहात
13	मु0अ0सं0 78/23	60(2) आबकारी अधि0	नगीना देहात

संयुक्त टीम का विवरण-

1. श्रीमान तहसीलदार नगीना जनपद बिजनौर ।
2. थानाध्यक्ष थाना नगीना देहात, बिजनौर ।
3. का0 2089 अमित कुमार थाना नगीना देहात, बिजनौर ।
4. का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात, बिजनौर ।
5. म0का0 1772 मंजू तोमर थाना नगीना देहात, बिजनौर ।
6. म0का0 927 अन्नू थाना नगीना देहात, बिजनौर ।